



पत्रांक- वाई.ई.ए./आर0टी0आई0 / 81 / 2020

दिनांक: 06/08 / 2020

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिकारियों की तैनाती व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा किये गये कार्य विभाजन आदेशों के फलस्वरूप जनसूचना अधिकारियों व अपीलेट अधिकारियों के कार्यक्षेत्र/विभागों में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु कार्यालय आदेश सं0- वाई.ई.ए./आर0टी0आई0 / कार्मिक / 2629 / 2019 / 82850 / दिनांक 11.03.2019 द्वारा जनसूचना अधिकारियों व नोडल अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारी नामित किये गये थे। उक्त आदेश निम्न प्रकार आंशिक संशोधित किया जाता है। तथा शेष आदेश यथावत रहेगा। :-

क्रमांक	जनसूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
1.	विशेष कार्यधिकारी (एस.बी.)	अपीलेट अधिकारी
2.	महाप्रबन्धक, (कार्मिक) (समस्त विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	नोडल अधिकारी
3.	महाप्रबन्धक (वित्त) (वित्त विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
4.	महाप्रबन्धक (नियोजन) (नियोजन विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
5.	महाप्रबन्धक (परियोजना) (परियोजना विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
6.	विशेष कार्यधिकारी (एम.) (अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
7.	विशेष कार्यधिकारी (एन.जी.) (अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
8.	विधि अधिकारी (विधि विभाग) (विधि विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
09.	समस्त तहसीलदार (भूलेख) (अपने-अपने ग्रामों/प्रकरणों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
10.	समस्त तहसीलदार 7 प्रतिशत (भूलेख) (अपने-अपने ग्रामों/प्रकरणों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
11.	सहायक महाप्रबन्धक (कार्मिक) (अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
12.	सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) (अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
13.	प्रबन्धक (सम्पत्ति) (अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी
14.	प्रबन्धक (सिस्टम)	जनसूचना अधिकारी

	(अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	
15.	प्रबन्धक (मार्केटिंग) (अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ)	जनसूचना अधिकारी

1. प्राधिकरण में प्राप्त जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को जनसूचना अधिकारी (कार्मिक) द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा तथा सम्बन्धित पत्रालेख का अनुमोदन विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर आवेदक को सरासरी सूचित किया जायेगा।
2. जिन प्रकरणों में प्रार्थना पत्र द्वारा प्राधिकरण के एक से अधिक विभागों से सूचना मांगी गयी है, उन प्रकरणों में नोडल जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की पृथक-पृथक छायाप्रतियाँ सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
3. सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने-अपने विभाग की सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध करायेगे तथा इसकी एक प्रतिलिपि नोडल जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।
4. माननीय राज्य सूचना आयोग, उ०प्र० लखनऊ में किसी अपील की सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष इसके लिये उत्तरदायी होंगे।
5. आवेदन पत्रों के साथ शुल्क के रूप में प्रस्तुत नगद धनराशि अथवा सैलमन पोस्टल आर्डर/पे-आर्डर/ड्राफ्ट/चैक आदि को वित्त विभाग के माध्यम से प्राधिकरण के खाते में जमा कराने का दायित्व सम्बन्धित जनसूचना/सहायक जनसूचना अधिकारी का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(शुभा सिंह)
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अवलोकनार्थ।
3. विशेष कार्यधिकारी/अपीलीय अधिकारी को अवलोकनार्थ।
4. समस्त सम्बन्धित अधिकारी/विभागाध्यक्ष।
5. प्रबन्धक (सिस्टम विभाग) को पत्र इस आशय से प्रेषित है कि प्राधिकरण की वेबसाइट पर कार्यालय आदेश अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. नोटिस बोर्ड।
7. गार्ड फाईल।

(शुभा सिंह)
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, जिला-गोरखपुर (उ०प्र०)
दूरभाष न० - 0120 - 2395201, फैक्स न० - 0120 - 2395150